३१/८/१५

वकील प्रार्थी उप०।

पत्रावली मय आदेशिका का अवलोकन किया गया। चूंकि पूर्व पेशी पर सभी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है अतः बहस वकील सायल सुनी गई।

हमने बहस पर गौर करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया। वस्तुतः [illegible] अन्तरिम कार्यवाही निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी [illegible] की गई है [illegible] वादग्रस्त खसरा नं० के ~~[illegible]~~ ~~मौके~~ ~~की~~ वर्तमान राजस्व रेकर्ड की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए

वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया गया था।

पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते हुए गैर सायल क्र. 2 से 4 ने सामलाती खातेदारी भूमि बिना बंटवारा करवाये दिनांक 6/5/21 को अजनबी क्रेता को बेचान कर दी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा बेचाननामा की प्रति से प्रार्थी के उक्त कथन की पुष्टि होती है। अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि दौरान वाद विचारण वादग्रस्त आराजी का उत्तरोत्तर हस्तांतरण हो सकता है जिससे वाद में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थिया को शीघ्र न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पड़ेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से एवं मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति को संरक्षित रखना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा घोड़ावड़ पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील [illegible] में खसरा नं. 447 रकबा 00-11 बीघा गै.मु. कैरा, खसरा 448 रकबा 0-08 बीघा चाही दोयम 449/646 रकबा [illegible] दोयम खसरा नं. 451 रकबा 0-18 बीघा गै.मु. कैरा ख.नं. 452 रकबा 00-03 बीघा चाही दोयम खसरा नं. 453 रकबा 1-1[illegible] चाही दोयम आयी हुई है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण [illegible] वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड। वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तथा वर्णित आराजी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक रोका जाकर पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब… अहल… हुक्म… मे ज…
	डोकट नम्बर दर्ज हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा। अभिलेखागार जमा हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:33 IST
Reason: SelfAttested